



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक:-

409

दिनांक:- 01/08/2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पोक्सो न्यायालय हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 187 दिनांक 01.04.2021, आदेश क्रमांक 22 दिनांक 12.01.2022 तथा आदेश क्रमांक 256 दिनांक 13.05.2022 द्वारा विधि से संघर्षरत/देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद/पीडित बालकों के लिए न्यायमित्र नियुक्त किए गए थे, जिनकी कार्यावधि आदेश क्रमांक 177 दिनांक 31.03.2022 से 03 माह अथवा नवीन पैनल गठित होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ायी गई थी तथा पुनः आदेश क्रमांक 360 दिनांक 30.06.2022 से पैनल अधिवक्तागण की कार्यावधि दिनांक 31.07.2022 या नवीन पैनल के गठन होने, जो भी पहले हो, तक बढ़ायी गई थी। वर्तमान में अधिवक्तागण के नवीन पैनल गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

निर्देशानुसार उक्त पैनल अधिवक्तागण की कार्यावधि दिनांक 31.08.2022 तक बढ़ायी जाती है।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:- एफ-2(38)/रालसा/पै.अधि./DS-I/21163-75 दिनांक:- 01/08/22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल सक्लेटरी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं मुख्य-संरक्षक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निदेशक, संयुक्त सचिव, विशिष्ट सचिव, मीडियेशन एवं आर्बिट्रेशन, उप सचिव प्रथम/उप सचिव ए.पी एण्ड ए.डी.आर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
5. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
6. सचिव, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर निवेदन है कि आदेश की प्रति विशेष न्यायालय (POCSO Cases) एवं अधिवक्तागण को उपलब्ध करावें।
7. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, समस्त राजस्थान।
8. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग।
9. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, समस्त राजस्थान।
10. नोडल अधिकारी वेबसाइट
11. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
12. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

(स्वाति सिंह)
उप सचिव-प्रथम

“Help The Needy – Timely Help May Create History”